ई. पी. एफ. ओ. ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भ. नि. सदस्यों के नाम में सुधार का प्रावधान किया है. इसके अन्तर्गत जो सदस्य ई. पी. एफ. ओ. डेटाबेस में अपने नाम का परिवर्तन चाहते हैं वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियोक्ता के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस सन्दर्भ में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जा चुका है जिसमें आवश्यक दस्तावेजों और निष्पादित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है.

EPFO has made a provision for change the name of EPF members in the application software. Members who wish to get their name to be changed in the EPF Database can apply for the same through their employer alongwith supporting documents. In this regard a circular has already been issued to the field offices mentioning the supporting documents and the process flow.

... परिपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें / Click here for the circular